



**Food Safety & Standards Authority of India**

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

A Statutory Authority under FSS Act, 2006

(एफ एस एस अधिनियम, 2006 के अधीन एक सांविधिक प्राधिकरण)

Western Region, Unit No.902,9th Floor,

Hall Mark , Business Plaza,

Opposite Guru Nanak Hospital Bandra (East), Mumbai- 400051

यूनिट नं० 902, नवां तल, हॉल मार्क, बिजनेस प्लाजा, गुरु नानक अस्पताल के सामने, ब्रान्द्रा (पूर्व) मुम्बई-400051

**Dated/दिनांक:** 25/03/2019

MAYUR ENTERPRISE

Plot No. 13 & 14, Near Agarbati Factory, Saragvada

Road, Junagadh, Junagadh (Gujarat), 362001

**Subject:** Grant of License (Renewal)

**विषय:** लाइसेंस (नवीकरण) प्रदान करना

Sir,  
महोदय,

Please refer to your Application ID CLS19030000334500 dated 25/03/2019 regarding grant of Renewed license under FSS Act, 2006. The Renewed license for the above mentioned application is granted as per the details given below:

कृपया आप एफ एस एस अधिनियम, 2006 के अंतर्गत नवीकरण लाइसेंस प्रदान करने के संबंध में अपने आवेदन CLS19030000334500 दिनांक 25/03/2019 का संदर्भ देखें। उपर्युक्त उल्लिखित आवेदन के लिए नवीकरण लाइसेंस नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार प्रदान किया जाता है:

License Number/लाइसेंस संख्या	Category of License/लाइसेंस की श्रेणी	Date of Grant/प्रदान करने की तारीख	Validity/विधिमान्यता
10014021001225	Central	20/06/2019	19/06/2024

The License is granted under and is subject to the provisions of Food Safety & Standards Act 2006, and Food Safety & Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulation, 2011.

लाइसेंस खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा खाद्य संरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यवसायियों को लाइसेंस देने तथा पंजीकरण) विनियम, 2011 के अधीन एवं इसके शर्ताधीन प्रदान किया जाता है।

The license should be kept in safe custody within the authorized premises and should be made available as and when required by licensing authority or their officials. A true copy of the license shall be displayed at a prominent place at all times within the authorized premises where the food business is carried out. The application for renewal of license must be made in the specified format not later than 30 days prior to the expiry of validity mentioned above, after which Rs.100 per day will be charged up to the date of expiry. After expiry a fresh online application for grant of a new license will be required.

लाइसेंस को प्राधिकृत परिसर में सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए तथा आवश्यकता पड़ने पर लाइसेंस प्राधिकारी या उनके अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। लाइसेंस की सही प्रति को प्राधिकृत परिसर, जहां खाद्य व्यवसाय किया जाता है के अंतर्गत प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा। लाइसेंस के नवीकरण हेतु आवेदन उपर्युक्त उल्लिखित विधिमान्यता समाप्त होने की तारीख से पहले 30 दिन से अधिक नहीं अवधि में विनिर्दिष्ट फॉर्मेट में अवश्य किया जाना चाहिए जिसके बाद समाप्ति की तारीख तक 100रु प्रति दिन के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा। समाप्ति के बाद नए सिरे से नवीन लाइसेंस देने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जरूरत होगी।

Please note that your application had been considered on the basis of the documents submitted. The authorized premises shall be inspected for verifications of information provided and to ensure compliance with all relevant provisions of the Act and Regulations. You shall also be responsible to ensure compliance with all acts, norms, regulations etc. pertaining to fire, electricity and electrical equipment, environment etc. as stipulated by the respective state authorities.

कृपया यह नोट करें कि आपके आवेदन पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ के आधार पर विचार किया गया था। प्राधिकृत परिसरों का निरीक्षण दी गई सूचना के सत्यापन तथा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि अधिनियम तथा विनियमों के सभी प्रासंगिक उपबंधों का अनुपालन हो रहा है। आप सभी अग्नि, विद्युत तथा विद्युत उपस्कर, पर्यावरण इत्यादि जिसका निर्धारण राज्य प्राधिकारियों द्वारा किया गया है से संबंधित सभी अधिनियमों, मानकों, विनियमों आदि के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेवार होंगे।

Enclosure: Original License under FSS Act, 2006  
अनुलग्नक:- एफ एस एस अधिनियम, 2006 के अधीन मूल लाइसेंस

Central Licensing Authority  
केन्द्रीय लाइसेंस प्राधिकारी  
Food Safety & Standards Authority of India  
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

Region name/क्षेत्र का नाम : Mumbai

Email Id/ईमेल आईडी : aomumbai@fssai.gov.in

Phone No/फोन नंबर : 022-26420961

भारत सरकार  
Government of India  
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण  
Food Safety and Standards Authority of India



खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन अनुज्ञप्ति  
License under Food Safety and Standards Act, 2006

अनुज्ञप्ति संख्या / License Number : **10014021001225**

**Kind of Business : Manufacturer**

Items of Food products with Installed capacities authorized to Manufacture/ Re-pack/Re-label

**Other food processing units**

Sl.No.	Product Description	Quantity (MT/Day)	Kind of Business
1	Groundnut Kernels,Rosted Pea Nut,	80	Manufacturer
2	Corrinder, Cumin, Spices	30	Manufacturer

Stamp and signature of Designated Officer

खा. सं. और मा. अधि., 2006 के अधीन केंद्रीय अनुज्ञापन  
अधिकारी

Central Licensing Authority under FSSA, 2006

स्थान / Place : Mumbai  
दिनांक / Date : 25/03/2019

Close

# Validation And Renewal Annexure

भारत सरकार  
Government of India  
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण  
Food Safety and Standards Authority of India



खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन अनुज्ञप्ति  
License under Food Safety and Standards Act, 2006

अनुज्ञप्ति संख्या / License Number : **10014021001225**

License Issue / Renewal Date	Period of validity	License Fee Paid	Items of Food products with capacities authorized to Manufacture/ Re-pack/ Re-label	Installed handling Capacity	Signature Of Designated Officer
20/06/2014	19/06/2019	Rs. 37500	--	--	
20/06/2019	19/06/2024	Rs. 37500 (For Renewal)	Please refer to annexure for details.	Please refer to annexure for details.	